



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड

(AN ISO 9001:2015 Certified Org.)

हाँसी रोड़, भिवानी-127021

क्रमांक 5653...../शैक्षिक/ए-6

दिनांक: 07/10/2020

Subject: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि बारे।

उपरोक्त विषय बारे सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, पंचकुला order No. 15/6-2017 Co(1) dated 07-01-2020 की निरन्तरता में पत्र दिनांक 25.08.2020 के अनुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि निम्न अनुसार तय की गई है:

“It is clarified that the validity period of State Teacher Eligibility Test/ Haryana State Teacher Eligibility Test will be Seven Years from the date of issuance of HTET passing certificate by Board of School Education Haryana, Bhiwani.”

सचिव